UPKR010011302026

न्यायालयः—जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

उपस्थित : रामेश्वर (एच.जे.एस.)

JO Code No. UP6537

सिविल प्रकीर्ण संख्या—18/2026

नवनीत कुमार उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी ग्राम कादरपुर मजरा कुरामई परगना बिलराम, तहसील व जिला कासगंज।

..... अपीलांण्ट/वादी

बनाम

प्रेम सिंह उम्र करीब वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम कादरपुर मजरा कुरामई परगना बिलराम, तहसील व जिला कासगंज।

.....प्रतिवादी/रेस्पोण्डेन्ट

24—07—2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 4सी2 अर्न्तगत धारा—5 मियाद अधिनियम

(1) प्रार्थनापत्र 4सी2 पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। आज पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

(2) वर्तमान सिविल अपील प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (जू0डि0) कासगंज द्वारा मूलवाद संख्या 134/2019 नवनीत कुमार बनाम प्रेमसिंह में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनॉकित 14—11—2025 के विरूद्ध प्रस्तुत है। आलोच्य निर्णय के जरिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद एकपक्षीय रूप से निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र उक्त प्रस्तुत है।

(3) प्रार्थनापत्र में बिलम्व उन्मुक्ति हेतु यह आधार लिया गया है कि अपीलकर्ता/वादी द्वारा यह प्रथम अपीलतृतीय अपर सिविल जज (जू०डि०) कासगंज द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 14—11—2025 मूलवाद सं0 134/2011 के जो कि विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात दाखिल हो रही है। अतः विलम्व क्षमा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति आवश्यक थी। अतः अपीलकर्ता/वादी की ओर से दिनांक 18—11—2025 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय कार्यालय द्वारा उक्त प्रमाणित प्रति दिनांक 25—11—2026 को तैयार की गयी जो अपीलकर्ता/वादी को दिनांक 02—12—2025 को प्राप्त हुई। यद्यपि अपीलकर्ता दिनांक 17—11—2025 से 28—02—2026 तक अस्वस्थ रहा तथापि उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18—11—2025 को निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। अपीलान्ट अपने अधिवक्ता को पहलेसे ही दिनांक 15—11—2025 को नकल निकलवाने हेतु निर्देशित कर गया था। अपीलकर्ता/वादी दुर्भाग्यवश दिनांक 17—11—2025 से

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.07.24 16:17:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

28—02—2026 तक गंभीर रूप से अस्वस्थ रहा तथा निरंतर चिकित्सीय अपचाराधीन रहा जिसके कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से इस स्थिति में नहीं था कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सके। अपीलकर्ता/वादी अस्वस्थ होने के कारण वह अधिवक्ता से समुचित परामर्श प्रस्तुत करने, आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने हेतु अपील तैयार करने में असमर्थ रहा जिसके परिणाम स्वरूप अपील प्रस्तुत करने में कुछ समय का विलम्व हो गया। जैसे ही अपीलार्थी/वादी का स्वास्थ्य ठीक हुआ उसने बिना किसी अनावश्यक विलम्व के तत्काल अपने नये अधिवक्ता से सम्पर्क कर वर्तमान अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जान बूझकर अथवा दुर्भावना पूर्ण नहीं है। यह पूर्णतः बोनाफाइड एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जब विलम्व के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हो, तब न्यायालय को न्यायहित में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए विलम्व को क्षमा करना चाहिए जिससे अपील का निस्तारण तकनीकी आधार पर नही, बल्कि गुण दोष के आधार पर किया जा सके। न्यायहित में अपील के गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु उक्त विलम्व को क्षमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलकर्ता की अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः उपयुक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृ ष्टिगत रखते हुए न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को धारा—5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत क्षमा किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की याचना की गयी है।

(4) प्रतिवादी/रेस्पोण्डेन्ट पर तामीला पर्याप्त है किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही है और ना ही कोई मौखिक या लिखित आपत्ति की गयी है।

(5) पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से यह आधार लिया गया है कि अपीलकर्ता/वादी की ओर से दिनांक 18—11—2025 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय कार्यालय द्वारा उक्त प्रमाणित प्रति दिनांक 25—11—2026 को तैयार की गयी जो अपीलकर्ता/वादी को दिनांक 02—12—2025 को प्राप्त हुई। यद्यपि अपीलकर्ता दिनांक 17—11—2025 से 28—02—2026 तक अस्वस्थ रहा तथापि उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18—11—2025 को निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। अपीलान्ट अपने अधिवक्ता को पहलेसे ही दिनांक 15—11—2025 को नकल निकलवाने हेतु निर्देशित कर गया था। अपीलकर्ता/वादी दुर्भाग्यवश दिनांक 17—11—2025 से 28—02—2026 तक गंभीर रूप से अस्वस्थ रहा तथा निरंतर चिकित्सीय अपचाराधीन रहा जिसके कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से इस स्थिति में नहीं था कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सके। अपीलकर्ता/वादी अस्वस्थ होने के कारण वह अधिवक्ता से समुचित परामर्श प्रस्तुत करने, आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने हेतु अपील तैयार करने में असमर्थ रहा जिसके परिणाम स्वरूप अपील प्रस्तुत करने में कुछ समय का विलम्व हो गया। जैसे ही अपीलार्थी/वादी का स्वास्थ्य ठीक हुआ उसने बिना किसी अनावश्यक विलम्व के तत्काल अपने नये

अधिवक्ता से सम्पर्क कर वर्तमान अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जान बूझकर अथवा दुर्भावना पूर्ण नहीं है। यह पूर्णतः बोनाफाइड एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई। यह भी स्थापित विधि सिद्धांत है कि वादों का निस्तारण तकनीकी आधारों के बजाय गुण—दोष के आधार पर किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को विलम्ब माफी के मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यदि कारण पूर्णतः अविश्वसनीय न हों।

(6) उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि विलम्ब सदभावी है। विलम्ब के संबंध में शपथपत्र में उल्लेख प्रार्थी द्वारा स्पष्टतया किया गया है। प्रकरण के गुणदोष के आधार पर निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार अपीलार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए विलम्ब से उन्मुक्ति प्रदान किया जाना एवं तदनुसार प्रार्थनापत्र 4सी2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4सी2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। वर्तमान प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाता है।

प्रकीर्ण सिविल अपील वास्ते सुनवाई अंगीकरण दिनॉक 05—08—2026 को पेश हो।

(रामेश्वर)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

दिनांकः—24—07—2026

स्टैनो—भगवान स्वरूप उपाध्याय